2022 | 81

(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री जयसिंह यादव झुंझुनू

बनाम

श्री विमल कुमार ड्रोलिया पुत्र महेश कुमार, मै0 लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक, सूरजगढ, झुन्झुनू निवासी वार्ड नम्बर 15, ड्रोलिया मन्दिर के पास सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।

प्रकरण संख्या– 4 /2022

प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.04.2022 को पेश हो। अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	
12.04.2022	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। [illegible] अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.04.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
13.04.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त कथन है कि उसने मै0 श्री लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, के नाम से गांधी चौक सूरजगढ में मिठाई की दुकान कर रखी है। जहां वह खाद्य पदार्थ पनीर तैयार करता है। अनावेदक ने पनीर में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। पनीर बनाते समय कारीगर द्वारा प्रक्रिया में कमी से गलती हो गई। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1674/एक्ट/2021/1546 दिनांक 23.11.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard)पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 श्री लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार पर पनीर स्वयं तैयार करता है तथा दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard)पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विमल कुमार ड्रोलिया पुत्र [illegible] गांधी चौक सूरजगढ निवासी वार्ड नम्बर 15, ड्रोलिया मन्दिर [illegible]ढ झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को [illegible] हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया [illegible]। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तु[illegible]। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:57 IST
Reason: SelfAttested